

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिक को नियुक्ति विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यादेश प्रदान की जाती है।
जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्मिक का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक वय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	श्रीमती जसलीन कौर, रारीरिक शिक्षा अध्यापक	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शुगरमिल कॉलोनी, श्रीगंगानगर	04.09.1984	CANADA दिनांक: 20.06.2022 से 13.06.2022 (कुल 25 दिन)

शर्त :-

- कार्मिक स्वाम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपरिख्यता प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपरिख्यत रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानकारीकर अनुपरिख्यत रहा जाएगा एवं उसके विलम्ब आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्भूत कार्यवाही अमल में लागी जाकर विष्णवानुसार अनुशासनालयका कार्यवाही को जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में बृहि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्वयापत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सभग अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - > कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - > कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं नहतदृष्टि-दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - > कार्मिक के विलम्ब तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - > कार्मिक के विलम्ब तत्समय कोई न्यायिक प्राप्तिनिधि लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति लाभत स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व समनियोजित कार्यालय को विदेश प्रदान में ठहरों का पूर्ण पता नये मोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अवकाश विदेश यात्रा के दौरान नये समकालीन माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्वातंत्र्य से विदेशी मुदा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अनियोजन/सूचना की नाप्रीयता भंग नहीं की जावेगी।

सत्यमेव जयते

अनुमति निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविर-गा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2021/पार्ट-II/196 दिनांक: 3 MAR 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), बीकानेर संभाग, बीकानेर।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी (मध्यालय), माध्यमिक, श्रीगंगानगर।
- 3- सिस्टम एकालिस्ट कम प्रोग्रामर, काम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हजा को दिनांकीय बैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- 4- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- 5- रक्षित पत्रावली।

अनुमति निदेशक (प्रशिक्षण)